



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-2050/MH/114/2023-RO-BH (RU-I)

दिनांक: 16/06/25

श्री राजेंद्र शंकर क्षीरसागर,
कलेक्टर एवं जिलाधिकारी, मुंबई उप नगर,
कलेक्टर कार्यालय मुंबई उपनगरीय जिला,
10वीं मंजिल, प्रशासनिक भवन, चेतना कॉलेज के पास,
सरकारी कॉलोनी, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051, महाराष्ट्र
ई-मेल: collector.mumbaisuburb@maharashtra.gov.in

श्री विवेक फणसात्कर,
पुलिस आयुक्त, मुंबई,
महाराष्ट्र सरकार,
पुलिस आयुक्त का कार्यालय,
डी. एन रोड, क्रॉफर्ड मार्केट के सामने,
मुंबई, महाराष्ट्र 400001
ई-मेल: cp.mumbai@mahapolice.gov.in
dcpzone5-mum@mahapolice.gov.in

श्री भूषण अशोक गगरानी,
नगर आयुक्त,
बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी),
द्वितीय तल, पुरानी बिल्डिंग,
बीएमसी मुख्यालय, महानगरपालिका मार्ग,
मुंबई 400001, महाराष्ट्र
ई-मेल आईडी: mc@mcgm.gov.in

डॉ. संजय मुखर्जी,
महानगर आयुक्त,
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण,
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स
एमएमआरडीए, नया प्रशासनिक भवन,
ई ब्लॉक बीकेसी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र 400051
ई-मेल: mc@mailmmrda.maharashtra.gov.in

प्रो. शिरीष बी. केदारे,
निदेशक,
आईआईटी बॉम्बे,
पवई, मुंबई 400 076, महाराष्ट्र,
ई-मेल: director@iitb.ac.in

विषय: अतिक्रमण दिखाकर विस्थापित करने के सम्बंध में श्रीमती मीना प्रभाकर रावते, अध्यक्ष, भानशीला आदिवासी रहिवासी सोसाईटी, भनशीला पेरुबाग विहारलेक रोड, पासपोली गांव, पोस्ट-निटी पवई, मुंबई (महाराष्ट्र) का दिनांक 17.07.2023 का अभ्यावेदन।

संदर्भ 1: आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 13.09.2023 एवं 04.06.2025 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच की जाने वाली कार्यवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक 26.06.2025 को दोपहर पश्चात सिटिंग निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाधकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(R.K. Dubey/आर. के. दुबे)
Deputy Director/उप-निदेशक
E-Mail: rk.dubey@ncst.nic.in
Tel: No. 011-20819839

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्रीमती मीना प्रभाकर रावते,
अध्यक्ष,
भानशीला आदिवासी रहिवासी सोसाईटी,
भनशीला पेरुबाग विहारलेक रोड, पासपोली गांव,
पोस्ट निटी पवई, मुंबई (महाराष्ट्र)

कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।